

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, उदयपुर
क्रमांक-एफ14()12/आ.प्र.सहा.एवं ना.सु./वर्षा- 2021/2022/2105 दिनांक:- 6/12/2022

।। कार्यालय आदेश ।।

श्रीमान् शासन उप सचिव, प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ 8 (24)(आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ/2022/13277-85 दिनांक 01.12.2022 द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या-80/2022-23 के अनुरूप प्रदत्त निर्देशों के अनुरारण में मानसून वर्ष 2022 में बाढ/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त सडकों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनः स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के नोर्स के अनुसार कार्यकारी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर से मरम्मत एवं पुनः स्थापना के प्राप्त प्रस्तावों जिन्हें आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है-

क्र. सं.	विभाग का नाम	ब्लॉक का नाम	क्षतिग्रस्त रोड का नाम	कुल स्वीकृत राशि (in Lacs)
1	सा.नि.वि.	इल्लारा	सलुम्बर बेडावल सती की चोरी धरियावद सडक	12.00
2			एम.डी.आर. 12 (बी) कि.मी. 3 से पायातलाब	1.20
3			पायरा से ढिका ढोला	1.56
4			सम्पर्क सडक मेटुडी किमी 4 से पाटन	1.29
5			सम्पर्क सडक बारा	1.50
6			सम्पर्क सडक नानगा	0.78
7			सम्पर्क सडक कगरा	1.02
8			सम्पर्क सडक काजवाडा	1.80
9			सम्पर्क सडक तेजपुरा	1.80
10			सम्पर्क सडक गामडी (कुण्डली)	0.60
11			सम्पर्क सडक कादगा	1.98
12			सम्पर्क सडक देवद	2.34
13			सम्पर्क सडक देवली	1.80
14			सम्पर्क सडक हडमतिया खुर्द	0.96
15			सम्पर्क सडक जाम्मुखेडा	0.60
16			सम्पर्क सडक मोरिला से सरवनी	1.80
17			सम्पर्क सडक मोरिला से वेन माईन्स	1.20
18			सलुम्बर बेडावल सडक से हरमोर फला	1.29
19			डगार से कुण्डली	4.04
20			कराकला से सलावता	1.38
21			मानपुर से ओडा फला	1.62
22			भवराना से सपलावत	1.49
23			सामोडा से भागल	0.48
24			छोटी वीरवा से बडी वीरवा	0.75
25			सम्पर्क सडक शेषपुर	1.80
26			खोलडी से भटवाडा	2.10
27			भटवाडा से भनोर	1.82
28			एम.डी.आर. 12 (बी) कि.मी. 3 से पायातलाब	3.00
29			सम्पर्क सडक कलयाणा खुर्द	1.61

All type latter.189.

४११

क्र. सं.	विभाग का नाम	ब्लॉक का नाम	क्षतिग्रस्त रोड का नाम	कुल स्वीकृत राशि (in Lacs)
30			बोरी से गटेड	3.30
31			पानगामडा से कल्याणा	1.44
32			सतोदारा से भटवारा अखेपुर	1.26
33			मालपुर किमी. 3 से गमेती फला	1.20
34			सम्पर्क सड़क रघुनाथपुरा	1.52
35			चौहानो का खाण्डेला से हेमा तान्डा	1.92
36			सम्पर्क सड़क उमरा फला	1.32
37			हेमा तांडा	1.92
38			कराकला से लऊवा ढोला पानी का गुडा	1.32
39			भवराणा से कारवाखारा	1.20
			योग	72.01

- यह स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर से प्राप्त प्रस्ताव जिन्हें आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है के आधार पर जारी की गई है।
- सड़क मरम्मत के उपरोक्तानुसार स्वीकृत कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाकर 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावे ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- कार्यालय हाजा द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में अंकित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए, सम्पादित कराये गये कार्यों के बिल कार्यालय हाजा को दिनांक 28.02.2023 तक भुगतान हेतु प्रेषित करावे क्योंकि उक्त कार्यों से संबंधित सृजित दायित्वों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्रप्रेषित नहीं किया जायेगा एवं माह फरवरी-2023 के पश्चात् बकाया भुगतान की राशि की जिम्मेदारी कार्यकारी विभाग की होगी।
- उक्त स्वीकृत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति पी.डब्ल्यू. एण्ड एफ.आर के अनुरूप राक्षम स्तर से समस्त कार्यों की पृथक-पृथक रूप से जारी कराकर के इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करावे।
- तात्कालिक रेस्टोरेशन के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सम्बन्धित कार्यकारी संस्थाओं को पूर्णता प्रमाणपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, उदयपुर को प्रेषित करने होंगे।
- उक्त सम्पादित कार्यों के बिलों का सत्यापन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी के द्वारा होना आवश्यक है उक्त सत्यापन के अभाव में आपदा के दौरान करवाये गये कार्यों के भुगतान हेतु इस विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- कार्यकारी विभाग द्वारा सम्पादित करवाये जाने वाले मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक 12199-231 दिनांक 03.10.2008 एवं 9362-63 दिनांक 26.07.2022 के द्वारा जारी प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।
- उक्त कार्यों को सम्पादित करने में व्यय करने हेतु लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम 2013, योजना के दिशा-निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।



(तारा चंद गीणा)
जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रतिलिपि :-

- शासन उप सचिव, आपदा प्रबंधक, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक एफ8(24)(आ.प्र.एवंसहा./प्रस्ताव/बाढ़/2022/13277-85 दिनांक 01.12.2022 के संदर्भ में बजट आवंटन हेतु प्रेषित है।
- अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर शहर/ग्रामीण को प्रेषित है।

3. उपखण्ड अधिकारी ~~सलुम्बर~~ जिला उदयपुर।
4. तहसीलदार ~~सलुम्बर~~ जिला उदयपुर।
5. अधीशापी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड ~~सलुम्बर~~
6. कार्यालय प्रति।

४११

(ओ.पी. बुनकर)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबंधन,
सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, उदयपुर